सक्षम न्यायालय आर्बीट्रेटर एवं जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं० 09/2022 प्रा0पत्र.3 जी(5)रा.रा.अ.
रामजीलाल मीना पुत्र गोपीराम मीना जाति मीना निवासी ढोलावास तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा
... प्रार्थी

बनाम

1. भू अवाप्ति अधिकारी (उपखंड अधिकारी) रामगढ पचवारा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील राहुवास
3. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग सडक 148 एन ए जरिये परियोजना निदेशक

... अप्रार्थीगण

आपत्ति प्रार्थना अन्तर्गत धारा 3 जी विरुद्ध अवार्ड आदेश भू० अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलेक्टर रामगढ़ पचवारा

उपस्थित– 1. श्री मुकुट बिहारी शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री दीपक शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 3

निर्णय

दिनांक 03.09.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, रामगढ पचवारा द्वारा ग्राम ढोलावास के खसरा नंबर 423/327 के पारित संरचना मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी रामगढ पचवारा से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि ग्राम ढोलावास में स्थित आराजी खसरा नम्बर 423/327 स्थित है उक्त भूमि में से भू० अवाप्ति अधिकारी रामगढ पचवारा द्वारा राष्ट्रीय राज्य मार्ग 148 एन ए दिल्ली से बड़ोदरा के सडक निर्माण हेतु उक्त भूमि में से भूमि अवाप्त कि गई है उक्त भूमि में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में पुख्ता मकानात का निर्माण हो रहा है परन्तु भू अवाप्ति अधिकारी ने मौके के विपरीत जाकर केवल मात्र भूमि अवाप्तशुदा का ही मुआवजा राशि का ही मुआवजे का निधारण किया है जबकि अवाप्तशुदा भूमि में प्रार्थी के पुख्ता मकानात बने हुऐ है जिसका स्टेक्चर नं. कोड नं. डी बी 582 (एच आर एच डी बी 587 आर एच एस है इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा को एक प्रार्थना पत्र अवाप्तशुदा भूमि व उसमें बने पुख्ता मकानात की पुनः जाँच करवाकर पुख्ता मकानात के अवाप्तशुदा का मुवावजा दिलाने की प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार राहुवास को मौके पर जाँच कर अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को प्रेषित की है जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि ग्राम ढोलावास के खसरा नम्बर 423/327 से एन एच 148एन ए गुजरने से अवाप्त भूमि पर बने स्ट्रेक्चर नं. 582 का मौका देखा गया उक्त स्ट्रेक्चर वर्गफिट में बना हुआ है इसमें से [illegible] एच 148 एन ए अवाप्त हो रहा है तथा बाकी बचा स्ट्रेक्चर एल ए पी में नही [illegible] जितना स्ट्रेक्चर एन एच 11 में है उसका मुवावजा दिया जा रहा [illegible] अवाप्त आ रहा है उसके उपरान्त बचे हुऐ स्ट्रेक्चर का [illegible] है एव उक्त स्ट्रे[illegible]यूजलैस हो जायेगा इससे स्पष्ट है कि अवाप्ति अधिकारी ने प्रा[illegible] को अवाप्तशुद्धा भू[illegible]ने मकानात का मुआवजा निर्धारित नही दिया गया है ऐसी सूरत में उक्त अवार्ड आदेश के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलेक्टर रामगढ़ पचवारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:13:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

का अवार्ड आदेश खिलाफ कानून नियम उप नियम व मौके की परिस्थितियों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अवाप्ति अधिकारी द्वारा मौके पर बिना जाँच किये ही मुआवजा राशि का निर्धारण किया है जबकि अवाप्तशुदा भूमि खसरा नम्बर 423/327 में पुख्ता मकान स्ट्रेक्चर नं. डी बी 582 एच आर एस डी बी 587 आर एच एस में बने हुऐ है जिसमें आधा उक्त स्ट्रेक्चर का भाग अवाप्त किया गया है तथा आधा भाग एक प्रकार से यूजलेस हो गया है ऐसी सूरत में मौके के अनुसार प्रार्थी को मुआवजा राशि मिलनी चाहिए परन्तु अवाप्त अधिकारी ने तमाम तथ्यों व मौके के अनुसार अवार्ड राशि का निधारण किया है। इसलिए अवार्ड आदेश में संशोधन किया जाकर पुनः मौके अनुसार अवार्ड का निधारण किया जाना आवश्यक है। भू० अवाप्ति अधिकारी ने पटवारी हल्का से की मौके की जाँच रिपोर्ट का अवलोकन ही नही किया जबकि पटवारी हल्का ने स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि अवाप्तशुदा भूमि में पुख्ता स्ट्रेक्चर बना हुआ है। तथा आधा भाग अवाप्त हो गया है तथा आधा हिस्सा अवाप्त होने के कारण यूजलैस हो गया है व किसी काम का नही रहा है ऐसी सूरत में प्रार्थी को मुआवजा पुरा स्ट्रेक्चर के आधार पर दिया जाना चाहिए था परन्तु अवाप्त अधिकारी ने तमाम तथ्यों पर विचार ही नहीं किया इसलिए भी अवार्ड आदेश निरस्त किया जाकर पुनः मौके के अनुसार व पटवारी रिपोर्ट के अनुसार संशोधन आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आपत्ति अवार्ड आदेश अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलेक्टर रामगढ़ पचवारा दिनांक 30–12–2021 आदेश निरस्त फरमाते हुऐ अवाप्तशुदा भूमि में बने हुऐ स्ट्रेक्चर जिसके सम्बन्ध में पटवारी हल्का द्वारा अपनी जाँच में अंकित किया गया है इसके आधार पर अवाप्त स्ट्रेक्चर का मुआवजा का पुनः निधारण नियमानुसार करने हेतु उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा भू अवाप्ति अधिकारी को आदेश फरमाया जावे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि वाके ग्राम ढोलावास का भूमि अवाप्ति अधिकारी रामगढ पचवारा के द्वारा विधिवत मुआवजा अवार्ड आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी ने गलत आधारों पर मुआवजा प्रापत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसे खारिज फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 3 ने बहस में कथन किया कि ग्राम ढोलावास में स्थित खसरा नम्बर 423 / 327 में से भूमि अवाप्ती अधिकारी रामगढ पचवारा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 148एन दिल्ली वडोदरा से सड़क निर्माण हेतु उक्त भूमि में से भूमि अवाप्त की गई है एवं उक्त अवाप्तशुदा भूमि व उस पर स्थित परिसम्पत्तियों/निर्माण/सरंचना का मुआवजा हेतु स्ट्रक्चर अवार्ड डीबी 582 (आरएचएस) व डीबी 587 (आरएचएस) के तहत मुआवजा तय किया गया है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 148 एन के कि०मी० 170.8 से 210 कि०मी० तक के भू–खण्ड के फोरलेनीकरण वास्ते केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21.08.2018 को भारत के राजपत्र में भूमि अवाप्ती वास्ते 3 ए की अधिसूचना जारी की गयी जिसमें वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 327 में से 0.8821 हे0 किस्म चाही–ए./बारानी ए /बंजर 1/बारानी 1 में से भूमि अवाप्ती वास्ते अधिसूचना जारी की गई। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 11.09.2018 को दैनिक भास्कर व दैनिक नवज्योति में प्रकाशित की गई। [illegible] में इस तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि अवाप्तशुदा भूमि मे [illegible] व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा उसी की उपधारा 1के [illegible] अधिकारी रामगढ पचवारा को स्वयं या किसी प्लीडर के माध्यम [illegible] कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त आपत्तियो पर सुनवाई का अवसर [illegible] तथा ऐसे सभी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् व जॉच करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी आपत्ति स्वीकार या अस्वीकार करेगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अधिनियम की धारा 3 सी (2) के तहत अंतिम

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:13:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

होगा। प्रार्थी द्वारा 3 ए अधिसूचना के 21 दिवस के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई। तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्र सरकार को 3 डी की अधिसूचना वास्ते रिपोर्ट भेजी गई। दिनांक 04.01.2019 को केन्द्र सरकार द्वारा 3डी अधिसूचना जारी की गई जिसमें केन्द्र सरकार स्पष्ट रूप से घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनूसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो जावेगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा वादग्रस्त आराजी आराजी खसरा नं. 423/327 में से 0.8821 है0 किरम चाही–ए./बारानी ए/बंजर 1/बारानी 1 के अवाप्तशुदा रकबा की मुआवजा राशि निर्धारण उपपंजीयक से प्राप्त निर्धारित डीएलसी दर संबंधित मुआवजा राशि का निर्धारण राजस्थान सरकार के प्रभावी बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट /वर्तमान मार्केट रेट के आधार पर किया जाकर मुआवजा निर्धारण किया गया। उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 423/327 में से 0.8821 हे0 किस्म चाही–ए/बारानी ए/ बंजर 1/बारानी 1 की मुआवजा राशि (बाजार दर प्रति है0 942335/–रूपये के हिसाब से अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य) 831234/– रूपये व उस पर बाजार मूल्य 1.50 से गुणक करते हुये गुणन कारक के साथ सर्वेक्षण संख्या का बाजार मूल्य 1246851/– रूपये, उक्त मूल दर पर 100 प्रतिशत सोलेसियम 1246851/– रूपये, 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिफल धारा 3ए के प्रकाशन की दिनांक से अधिनिर्णय की दिनांक तक 57389/– रूपये इस प्रकार कुल मुआवजा राशि 2551091/– रूपये की मुआवजा राशि का निर्धारण अवाप्त भूमि की किस्म सिंचित के आधार पर तय किया गया एवं उक्त अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित परिसम्पत्ति/निर्माण का सर्वे के दौरान पाये गये निर्माण आदि के मुआवजा का निर्धारण राजस्थान सरकार के बैसिक शिड्यूल ऑफ रेट के आधार पर किया गया। उक्त अवाप्तशुदा भूमि खसरा नम्बर 327 पर स्थित **Structure, Ramp, (type of structure -Ground floor) Status of construction:Load Bearing Structure, Ramp, year of construction: 2016** का अवार्ड डीबी 582 (आरएचएस) के तहत उसकी नेट वैल्यू 118302/– रूपये एवं मूल दर पर 100 प्रतिशत सोलेशियम राशि 118302/ रूपये इस प्रकार कुल राशि 236604/– रूपये एवं उक्त अवाप्तशुदा भूमि खसरा नम्बर 327 पर स्थित **Structure, Asbestes Shed, Patol, (type of structure Ground floor) Status of construction: Structure Asbestes Shed, Patol, year of construction-** 2013 का अवार्ड डीबी 587 (आरएचएस) के तहत उसकी नेट वैल्यू 137958/– रूपये एवं मूल दर पर 100 प्रतिशत सोलेशियम राशि 137958/–रूपये इस प्रकार कुल राशि 275916/– रूपये का अवार्ड तय किया गया। धारा 3 एच के तहत अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा हितबद्ध व्यक्तियों के नाम सक्षम अधिकारी को जमा करा दिया गया है। प्रार्थी ने नितान्त ही गलत आधारों पर मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उक्त अवार्ड आदेश की पालना में अप्रार्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष मुआवजा राशि जमा करवा दी गई है। ऐसी स्थिति में अब अन्य कोई मुआवजा राशि मनगढन्त आधारों पर प्रार्थी प्राप्त करने के अधिकारी नही है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जी (7) के निर्देशों की पालना में मुआवजा राशि निर्धारित की गई है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3 ए गजट नोटिफिकेशन दिनांक 21.08.2018 को अवाप्तशुदा भूमि की किस्म सिंचित के हिसाब से मुआवजा राशि [illegible] की है व उक्त अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित परिसम्पत्ति /निर्माण का सर्वे के दौरान पाये गये निर्माण आदि के मुआवजा का निर्धारण राजस्थान सरकार के बैसिक शिड्यूल ऑफ रेट के आधार पर किया गया प्रार्थी नितान्त ही गलत आधारों पर मुआवजा प्राप्त करना चाहता है जो विधि के प्रावधानों के विरूद्ध होने के कारण स्वीकार योग्य नही है। अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में पारित अवार्ड आदेश की पालना में अप्रार्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष मुआवजा राशि जमा करवा दी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:13:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

गई है। ऐसी स्थिति में अब अन्य कोई मुआवजा राशि मनगढन्त आधारों पर प्रार्थी प्राप्त करने के अधिकारी नही है । इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। राजस्थान सरकार के पत्र संख्या अधि.अभि./भूमि अवाप्ति/57/डी–197 दिनांक 02.05.2018 द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148एन (दिल्ली – वडोदरा एक्सप्रेसवे) के निर्माण के लिये तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा में भूमि अवाप्ती की कार्यवाही हेतु सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने हेतु उपखण्ड अधिकारी तहसील – रामगढ पचवारा को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) के रूप में प्राधिकृत किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही करने के उपरान्त अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा व भूमि पर स्थित भवन आदि परिसम्पत्ति की धन राशि के संबंध में हितधारी व्यक्तियों के नाम अवार्ड आदेश जारी किया गया । अर्जित भूमि पर स्थित भवन आदि परिसम्पत्ति की धन राशि (section 29 of RFCTLARR Act-2013) – भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 की धारा 30 की उप धारा 1 के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन ओर अन्य स्थावर सम्पत्ति या आस्तियों के बाजार मूल्य का अवधारण करने के लिये सुसंगत क्षेत्र में किसी सक्षम इंजिनियर या ऐसे किसी अन्य विशेषज्ञ की की सेवा का उपयोग करने के प्रावधान है जिसके अनुसार परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पत्र सं. एनएचएआई/41005 /19/दौसा/भारतमाला/बसवा/671 दिनांक 03.06.2019 के क्रम में अर्जित भूमि पर स्थित भवन इत्यादि परिसम्पत्ति का मूल्यांकन/सत्यापन सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराकर रिपोर्ट अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. वृत लालसोट के पत्र संख्या 1098 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) के कार्यालय में उपलब्ध करायी गयी है। अधिनिर्णय की घोषणाः – यह पूरक अवार्ड केवल भवन आदि परिसंपत्ति के मुआवजें से संबंधित है। अर्जित भूमि पर स्थित वृक्ष आदि से संबंधित मुआवजे का अवार्ड अलग से घोषित किया जावेगा। अर्जित भूमि से संबंधित मूल अधिनिर्णय दिनांक 19.03.2019 एवं 28.05.2019 को पारित किया जा चुका है। अवाप्ताधीन भूमि पर स्थित भवन आदि परिसम्पत्ति का प्रस्तावित अवार्ड में देय मुआवजा राशि का पूर्ण विवरण गणना पर्चा खतौनी में तैयार किया गया है जो कि इस प्रस्तावित अवार्ड का अभिन्न अंग है बइसमें अंकित व्यक्तियों को उनके वैद्य स्वामित्व के अनुसार मुआवजा राशि दिया जाना एतद् द्वारा स्वीकार किया जाता है। अधिनिर्णित धन राशि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त हो जाने पर अर्जित परिसम्पत्ति के मुआवजे का भुगतान वैद्य स्वामित्व के आधार पर संलग्न "गणना पर्चा खतौनी के अनुसार किया जावेगा। प्रार्थी ने नितान्त ही गलत आधारों पर मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थी किसी भी प्रकार की मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नही है। मिन उत्तरदाता द्वारा जितनी भूमि अवाप्त की गयी थी उसकी मुआवजा राशि मुताबिक भूमि की किस्म के आधार पर पारित अवार्ड आदेश की पालना में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष भुगतान हेतु जमा करवा दिया गया है। प्रार्थीगण नितान्त ही गलत आधारों पर मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहते है जो स्वीकार योग्य नही है। उल्लेखनीय है कि भूमि अवाप्ती एवं अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। मिन उत्तरदाता द्वारा सक्षम प्राधिकारी के आदेश की पालना में मुआवाजा राशि जमा करवायी जाती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी मिन उत्तरदाता के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:13:16 IST
Reason: SelfAttested

6. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी रामगढ पचवारा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार ग्राम ढोलावास तहसील राहुवास में स्थित आराजी खसरा नंबर 423/327 भूमि का एवं अवाप्तशुदा संरचना का मुआवजा राशि का निर्धारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिनियम 1956 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वावासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया गया है। मुआवजा राशि का निर्धारण प्रार्थी की अवाप्त भूमि की तत्समय की प्रचलित कृषि भूमि की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है एवं प्रार्थी का पुख्ता मकान स्ट्रक्चर नंबर डी.बी. 582 आरएचएस एवं डी0बी0 587 आर.एच.एस. जिसका वैल्यूएशन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिकृत ऐजेन्सी द्वारा किया गया है। ग्राम ढोलावास तहसील राहुवास में स्थित आराजी खसरा नंबर 423/327 भूमि का एवं अवाप्तशुदा संरचना का मुआवजा राशि का निर्धारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वावासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के संपूर्ण नियमों एवं धाराओं को ध्यान में रखते हुए तत्समय उप पंजीयक रामगढ पचवारा द्वारा उपलब्ध कराई गई डी.एल.सी. दर के आधार पर किया गया है। उक्त अवार्ड जारी करने में किसी प्रकार की कानूनी गलती नहीं की गई है।

7. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
8. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
9. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
10. प्रकरण में मूल विवाद इस संबंध में है कि क्या प्रार्थी को मात्र अवाप्त किये गये संरचना का मुआवजा दिया जावे अथवा संपूर्ण संरचना का मुआवजा दिया जावे।
11. अवाप्त की गई संरचना का नजरी नक्शा इस प्रकार है:—

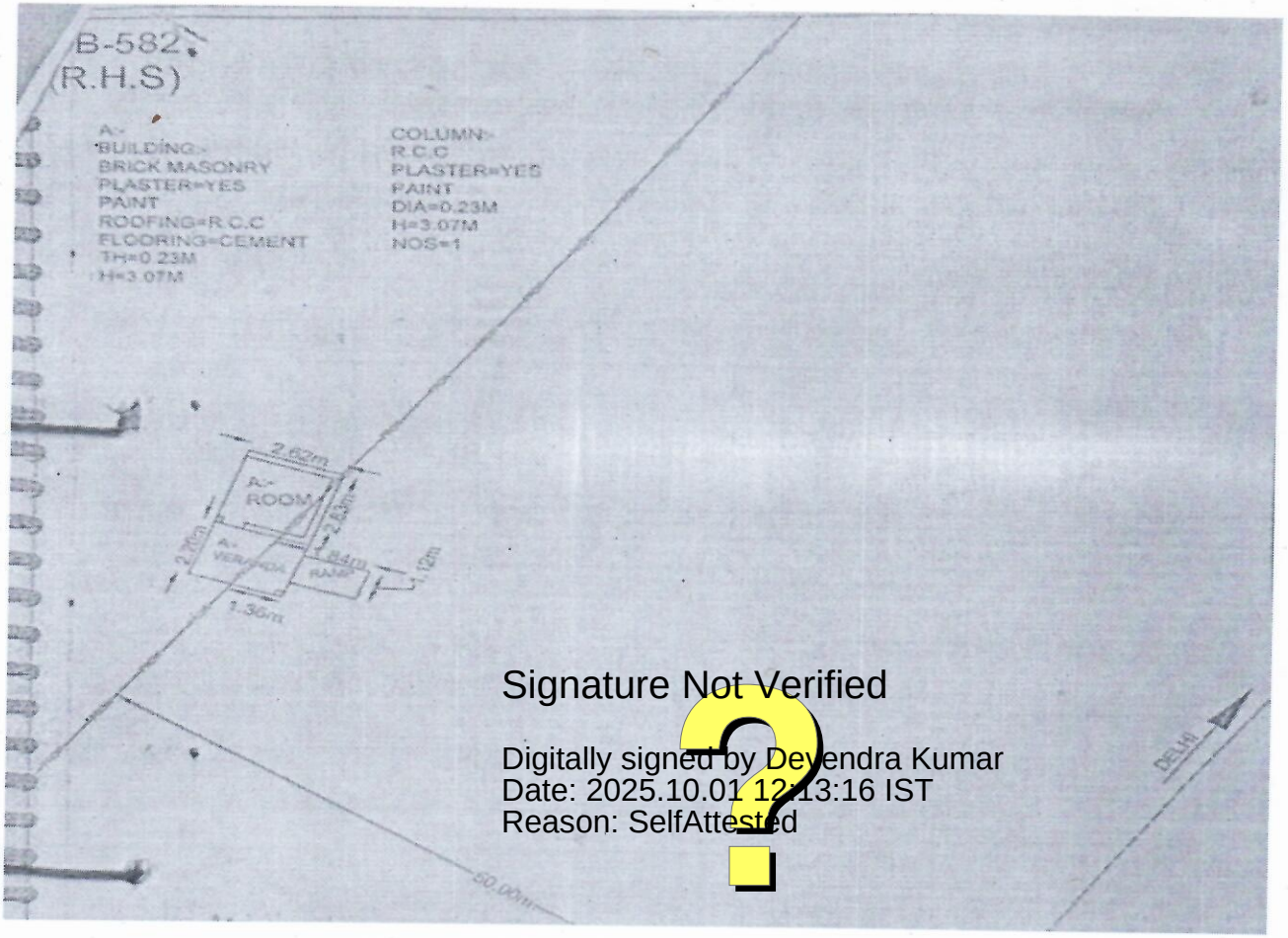

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:13:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

12. उपरोक्त नक्शे में देखा जा सकता है कि प्रार्थी को संपूर्ण आवास को अवाप्त नहीं किया जाकर उसके कुछ हिस्से को अवाप्त किया गया है एवं उस हद तक ही मुआवजे का निर्धारण किया गया है। प्रार्थी का कथन है कि जब उक्त हिस्से को अवाप्त कर तोडा गया तो इससे घर के अन्य हिस्से को भी क्षति पहुँची है एवं संपूर्ण घर निवास की स्थिति में नहीं है। इस संबंध में मुआवजे का निर्धारण करने के संबंध में तत्समय राज्य सरकार की नीति सार्वजनिक निर्माण विभाग का परिपत्र एक्स–3/2015 लागू थी। हमने उक्त परिपत्र का अवलोकन किया। उक्त परिपत्र में इस प्रकार के प्रकरण जिसमें यदि किसी घर के आधे भाग के अधिग्रहण के संबंध में यदि मूल्यांकन करना हो तो क्या संपूर्ण संरचना का मूल्यांकन कर मुआवजा दिया जायेगा इस प्रकार से कहीं भी अंकन नहीं है। उक्त परिपत्र के अवलोकन से यही निष्कर्ष निकलता है कि जितने भाग का अधिग्रहण किया जा रहा है उसी तक ही संरचना के मूल्यांकन किया जावे। साथ ही प्रार्थी द्वारा अपने तर्क के कथन में किसी प्रकार का कोई नियम, अधिनियम, कोई केन्द्र या राज्य सरकार का परिपत्र या नीतिगत नियमों की प्रति प्रस्तुत नहीं की है जिससे हम निष्कर्ष पर पहुँच सके कि किसी संरचना के कुछ हिस्से का अधिग्रहण हो रहा हो तो संपूर्ण संरचना का मुआवजा प्रार्थी को दिया जावे। अधेहस्ताक्षरकर्ता स्वयं कोई नीति या नियम बनाने के लिए सक्षम नहीं है।

13. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी रामगढ पचवारा द्वारा प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 423/327 वाके ग्राम ढोलावास का पारित मुआवजा अवार्ड आदेश यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 03 सितम्बर, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:13:16 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official